# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर,जिला–सरगुजा (छ0ग0)

## ::आदेश::

क्रमांक / 8272 /शिकायत–जॉच / 2025–26 अम्बिकापुर, दिनांक–29/5/26

श्री कुन्द साय टेकाम सहायक शिक्षक शा.प्रा.शा. पण्डरीडांड विकासखण्ड–उदयपुर द्वारा दिनांक 10.04.2026 को शिकायत पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि शा.प्रा.शा.पण्डरीडांड में पदस्थ प्रधानपाठिका श्रीमती अंजेला किण्डो के द्वारा शाला अनुदान की राशि का आहरण कोषाध्यक्ष श्री कुन्दसाय टेकाम के फर्जी हस्ताक्षर कर, कर लिया गया है तथा बगैर भौतिक सत्यापन के देयक लगाया गया है। रविवार के दिन शाला प्रबंधन समिति की बैठक की गई है,जो फर्जी है।

उक्त शिकायत की जॉच सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी उदयपुर से कराया गया है।जॉच अधिकारी द्वारा जॉच के निष्कर्ष में लेख किया गया है कि–

''प्रधान पाटिका श्रीमती अंजला किंडो ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने 2025–26 बालवाड़ी की द्वितीय किश्त में फर्जी हस्ताक्षर कर शासकीय राशि का आहरण किया है। भंडार क्रय नियमों (क्रय समिति, भौतिक सत्यापन आदि) का पालन किए बिना क्रय/भुगतान होना पाया गया। दिनांक 06/07/2025 दिन रविवार को एस.एम.सी. बैठक की प्रविष्टि तथा अन्य माहों में किये गये बैठकों में सदस्यों के हस्ताक्षरों में भिन्नता, एस.एम.सी. अध्यक्ष व सदस्य मानिक दास द्वारा एक माह को छोड़कर अन्य माहों में हस्ताक्षर का मिलान न होना पाया गया जो बैठकों को संदिग्ध बनाता है। दिनांक 19/03/2024 व 29/03/2025 को जारी PPA में कुंदसाय टेकाम का हस्ताक्षर मिलान नहीं होना पाया गया है। प्रधान पाटिका श्रीमती अंजला किंडो द्वारा अपने पति श्री किशोर किंडो जो शासकीय कर्मचारी हैं, के खाते में राशि का हस्तांतरण करना शासकीय राशि के दुरुपयोग को प्रमाणित करता है। प्रधान पाटिका श्रीमती अंजला किंडो ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने 2025–26 बालवाड़ी की द्वितीय किश्त में फर्जी हस्ताक्षर कर शासकीय राशि का आहरण किया है साथ ही दिनांक 19/03/2024 व 29/03/2025 को जारी PPA में श्री कुंदसाय टेकाम का हस्ताक्षर मिलान नहीं होना, भंडार क्रय नियमों (क्रय समिति, भौतिक सत्यापन आदि) का पालन न होना, दिनांक 06/07/2025 दिन रविवार को एस.एम.सी. बैठक की प्रविष्टि तथा अन्य माहों में किये गये बैठकों में सदस्यों के हस्ताक्षरों में भिन्नता, एस.एम.सी. अध्यक्ष व सदस्य मानिक दास के हस्ताक्षरों का मिलान न होना, प्रधान पाटिका श्रीमती अंजला किंडो द्वारा अपने पति श्री किशोर किंडो जो शासकीय कर्मचारी हैं, के खाते में राशि का हस्तांतरण करना शासकीय राशि के दुरुपयोग व शासकीय दस्तावेजों में कूट रचना को प्रमाणित करता है, जो गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। उक्त जांच में की गई शिकायत सही पाई गई है।

श्रीमती अंजेला किण्डो प्रधानपाठिका शा.प्रा.शा. पण्डरीडांड विकासखण्ड–उदयपुर का उपरोक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता,अनुशासहीनता तथा वित्तीय अनियमितता प्रदर्शित करता है,जो छ0ग0सिविल सेवा(आचरण)नियम,1965 के नियम–3 से सर्वथा विपरीत होने के कारण छ0ग0 सिविल सेवा(वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील)नियम,1966 के तहत शास्ति योग्य है।

अतः एतद द्वारा श्रीमती अंजेला किण्डो प्रधानपाठिका शा.प्रा.शा. पण्डरीडांड विकासखण्ड उदयपुर को प्रथम दृष्टया कदाचरण का दोषी पाते हुए अविलंब प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सीतापुर नियत किया जाता है। इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

civilindia.in

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा(छ0ग0)

पृ0क्र0/ 8273 /शिकायत–जॉच/2025–26 अम्बिकापुर,दिनांक 29/5/25

प्रतिलिपि,

1. कलेक्टर,जिला–सरगुजा की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित्।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित्।
3. संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित्
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी उदयपुर/सीतापुर जिला–सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. स्थापना – प्रा0शा0 कार्यालयीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित श्रीमती अंजेला किण्डो प्रधानपाठिका शा.प्रा.शा. पण्डरीडांड विकासखण्ड उदयपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित्।

जिला शिक्षा अधिकारी
अम्बिकापुर सरगुजा(छ0ग0)

civilindia.in